भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2893

दिनांक 20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य

†2893.**श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:**

श्री पी.सी. मोहन:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी के लिए किए गए सरकारी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत द्वारा प्राप्त किए गए संयुक्त राष्ट्र के 169 सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है और नहीं प्राप्त हो सके लक्ष्यों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या नीति आयोग ने एसडीजी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एसडीजी की निगरानी के लिए राज्य सूचक ढांचे वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(च) सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में नीति आयोग की तैयारियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुतियों की बारंबारता कितनी है और स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की अगली प्रस्तुति की समय-सारणी क्या है;

(छ) नीति आयोग द्वारा एसडीजी कार्यबल की मौजूदगी और बैठक की बारंबारता कितनी है और इसके सदस्यों की संरचना क्या है; और

(ज) क्या नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से एसडीजी की निगरानी रोक दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है जिसे केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल करते हुए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाकर एसडीजी पर समन्वय रूप से कार्य करने के लिए अधिदेशित किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी को सुकर बनाने के लिए इस विषय-वस्तु से जुड़े भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से एक राष्ट्रीय सूचक ढांचा (एनआईएफ) विकसित किया है। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग उनको सौंपे गए संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के साथ ध्येयों और लक्ष्यों के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचक ढांचे (एनआईएफ) की मदद से नीति आयोग ने एक विशिष्ट मापनीय सूचकांक के माध्यम से देश में एसडीजी की प्रगति की निगरानी के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड विकसित किया है। यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का आकलन प्रदान करता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विविध लक्ष्यों में उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक भी दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूचक ढांचे के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर भी प्रदर्शन की निगरानी की जाती है।

(ख) केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं कि एसडीजी लक्ष्यों को 2030 तक पूरा किया जाए।

(ग) एवं (घ) नीति आयोग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के साथ साझेदारी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीजी के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर की निगरानी ढांचा विकसित करने में तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। एमओएसपीआई द्वारा जून 2023 में जारी

"सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय सूचक ढांचा, प्रगति रिपोर्ट 2023" के अनुसार, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर का एसडीजी निगरानी ढांचा उपलब्ध है।

(च) नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) में क्रमशः 2017 और 2020 में देश में एसडीजी के कार्यान्वयन पर पहली और दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की अगली प्रस्तुति की समय-सारणी विचाराधीन है।

(छ) एसडीजी कार्यबल देश में एसडीजी के कार्यान्वयन की जांच करने में एक सहायक भूमिका निभाता है। यह बहु-विषयक के साथ-साथ अंतर-क्षेत्रीय प्रकृति का है। कार्यबल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं और इसकी सदस्यता में आठ केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के चुनिंदा विभागीय प्रमुख, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी); महानिदेशक, विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) और राज्य सरकारों के अपर मुख्य सचिव/सचिव (योजना) आदि शामिल हैं। कार्यबल की बैठक प्रत्येक छमाही में होती है।

(ज) जी, नहीं। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के माध्यम से एसडीजी की निगरानी को रोका नहीं गया है।

*****